2. **आंगनबाडी सहायिकाओं की पदोन्नति एवं समायोजन की कार्यवाही:–**

नवीन भर्ती शासनादेश संख्याः 2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक: 17.09.2025 में व्यवस्थानुसार पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक:10.04.2026 के द्वारा प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल 02 जनपद के बाहर व 04 जनपद में आन्तरिक समायोजन किया गया तथा आंगनबाडी कार्यकत्री के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कुल 08 आंगनबाडी सहायिकाओं की पदोन्नति की गयी।

3. **वर्तमान में आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही:–**

नवीन भर्ती शासनादेश संख्याः 2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक: 17.09.2025 में व्यवस्थानुसार चयन की कार्यवाही की जानी है।जनपद में परियोजनावार रिक्त आंगनबाडी कार्यकत्रियों के पद का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल भरे पदों की संख्या	पूर्व विज्ञापन में ऑगनवाड़ी कार्यकत्री के भर्ती उपरान्त रिक्त पदों की संख्या	मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्रों से फुल में परिवतित ऑगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या	मृत्यो परान्त त्यागपत्र, सेवा समाप्ति एवं पूर्व से रिक्त हुए पदों की संख्या	दिनांक 30.04.2025 को ऑ0का0 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त से रिक्त हुए पदों की संख्या	दिनांक 30.04.2026 को ऑ0का0 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त से रिक्त हुए पदों की संख्या	कुल योग (रिक्त पदों की संख्या)	रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण की स्थिति		
										अनारक्षित पद	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सादाबाद	251	218	1	30	2	0	0	33	18	5	10
2	हाथरस ग्रामीण	215	176	0	16	14	4	4	38	26	5	7
3	सिकन्दरा राऊ	221	185	0	27	4	3	2	36	19	6	11
4	सासनी	253	230	0	12	5	3	3	23	11	8	4
5	हसायन	175	150	2	9	3	4	7	25	15	6	4
6	सहपऊ	154	136	0	14	3	1	0	18	11	2	5
7	मुरसान	218	173	1	22	17	3	2	45	25	13	7
8	हाथरस शहर	225	214	2	0	5	2	2	11	3	3	5
योग		1712	1482	6	130	53	20	20	229	128	48	53

नोट –बाल विकास परियोजना हाथरस ग्रामीण के ऑगनवाड़ी केन्द्र–खरग में ऑ0का0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विज्ञप्ति प्रकाशित नही की जा रही है।

शासनादेश में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने हेतु दिशा–निर्देश:–

- आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय अपने समस्त शैक्षिक योग्यताओं (इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक) के परीक्षा में प्राप्त अंक भरें जायेगें। समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

- आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की कट ऑफ दिनांक: 01.01.2026 होगी।
- आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु उसी वार्ड/ग्राम सभा का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यदि उसी ग्राम सभा में पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- विज्ञपित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार होगे। आवदेन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्णांक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।
- आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर आवेदन करने की अवधि कुल 21 दिवस की होगी।

आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर चयन की वरीयता:–

- उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- यदि उपरोक्तनुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उसी ग्राम सभा मे उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी एवं तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
- गरीबी रेखा की आय सीमा का पुन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक: 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो तथा गरीबी रेखा की आय सीमा का पुन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण

③

अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में उल्लेखित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

- निवास व जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर आरक्षणः–

- आंगनबाडी कार्यकत्री की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेगें।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि बाल विकास परियोजना में कुल 229 आंगनबाडी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए चयन की कार्यवाही प्रचलित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

(इरशाद अली) प्रधान सहायक / पटल सहायक	(कल्पना दुबे) प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिकन्दराराऊ।(प्रस्तुतकर्ता)	(ममता शर्मा) बाल विकास परियोजना अधिकारी, हसायन।(प्रस्तुतकर्ता)
(स्मृति दुबे) प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी, सासनी। (प्रस्तुतकर्ता)	(ओमवती) प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी, हाथरस–शहर।(प्रस्तुतकर्ता)	(सोनी कुमारी) बाल विकास परियोजना अधिकारी हाथरस–ग्रामीण।(प्रस्तुतकर्ता)
(स्तुति वर्मा) प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुरसान। (प्रस्तुतकर्ता)	(सानू आर्य) प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी, सादाबाद।(प्रस्तुतकर्ता)	(रेखा शर्मा) बाल विकास परियोजना अधिकारी सहपऊ।(प्रस्तुतकर्ता)
(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय) जिला कार्यक्रम अधिकारी, हाथरस। (सदस्य सचिव)	(राहुल पाल) सहायक निदेशक मत्स्य, हाथरस।(सदस्य)	(डा0 रेखा मिश्रा) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी हाथरस।(सदस्य)
(राजेश कुरील) परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, हाथरस। (सदस्य)	(पी0 एन0 दीक्षित) मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस। (अध्यक्ष)	(अतुल वत्स) जिलाधिकारी, हाथरस।

Dt. of Receipt 11/5/26

Dt. of Forward 12/5/26

जिलाधिकारी हाथरस